मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः24.02.2026

थाना अदलहाट पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय शातिर ट्रैक्टर-ट्रॉली चोर गैंग के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 04 ट्रैक्टर, 03 ट्रॉली व 01 मोटर साइकिल बरामद —

“अपर्णा रजत कौशिक” पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व वाहनों की चोरी एवं बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना अदलहाट पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 23.02.2026 को थाना अदलहाट पुलिस टीम को जरिए मुखबिर के सूचना के आधर पर थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम विशेषरपुर माफी हाइवे से चोरी के ट्रैक्टर मय ट्राली के साथ 04 नफर अभियुक्तों 1. रिषू तिवारी पुत्र रमाकान्त तिवारी निवासी भदौली थाना कुदरा जनपद कैमूर, बिहार, 2. रविशंकर तिवारी उर्फ मंटू पुत्र लाली तिवारी निवासी अमरपुरा थाना मोहनिया, जनपद कैमूर भभूआ, बिहार, 3. आशीष कुमार तिवारी उर्फ गोलू पुत्र धनजी तिवारी निवासी अमरपुरा थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभूआ, बिहार व 4. आदित्य पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय पुत्र जय प्रकाश पाण्डेय निवासी करजी थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा ट्राली में ईट लदी हुई थी व ट्राली के उपर रखी एक मोटर साइकिल भी बरामद की गयी। इसी क्रम में अभियुक्तों की निशादेही पर थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरईपुर गंगा नदी के किनारे छिपाकर रखें हुए 03 अदद चोरी के ट्रैक्टर को थाना अदलहाट पुलिस द्वारा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-39/2026 धारा 317(2),324(2),303(2) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा बरामद सभी वाहनों को 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों द्वारा मीरजापुर व आसपास के अन्य जनपदो तथा बिहार के अलग-अलग स्थानों से ट्रैक्टर ट्राली की चोरी करते है। चोरी किये ट्रैक्टर व ट्राली को दाउद नगर, जनपद औरंगाबाद के एक कबाड़ी को बेच देते है। जो इन ट्रैक्टर-ट्रालियों को कटवाकर कबाड़ में बेचकर धन प्राप्त कर लेते है। इस प्रकार प्राप्त धन को आपस में बाट लेते है तथा भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ उठाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. रिषू तिवारी पुत्र रमाकान्त तिवारी निवासी भदौली थाना कुदरा जनपद कैमूर, जनपद बिहार, उम्र -20 वर्ष।
2. रविशंकर तिवारी उर्फ मंटू पुत्र लाली तिवारी निवासी अमरपुरा थाना मोहनिया,जनपद कैमूर भभूआ, बिहार, उम्र -35 वर्ष।

3. आशीष कुमार तिवारी उर्फ गोलू पुत्र धनजी तिवारी निवासी अमरपुरा थाना मोहनिया कैमूर भभूआ, बिहार उम्र -19 वर्ष।

4. आदित्य पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय पुत्र जय प्रकाश पाण्डेय निवासी करजी थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर, उम्र -20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-39/2026 धारा 317(2),324(2),303(2) बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त-रिषू तिवारी)

1. मु0अ0सं0- 291/2024 धारा 305,317(2),331(2) बीएनएस थाना लंका जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0- 331/2024 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना लंका जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना लंका जनपद वाराणसी।

(अभियुक्त-रविशंकर तिवारी उर्फ मंटू)

1. मु0अ0सं0- 52/2017 धारा 302 भादवि व एसटीएससी एक्ट, थाना चांद जनपद भभूहा, बिहार।

विवरण बरामदगी—

चोरी की 04 अदद ट्रैक्टर, 03 ट्रॉली व 01 अदद मोटर साइकिल।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक-अजय कुमार सेठ थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

उप-निरीक्षक आशुतोष शुक्ला व अभयनारायण सिंह मय पुलिस टीम।